



हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

बजट सत्र 2023

कार्य सूची

22 मार्च, 2023

1. प्रश्न

(1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

2. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

(1)

एक प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक मंत्री नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

3. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

(1)

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।
एक मंत्री

4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचनाएं।

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-2

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48

जिसकी सूचना:-

श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए.;

द्वारा दी गई सूचना को, स्वीकृत

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ

क्लब कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54

जिसकी सूचना:-

श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए.- द्वारा नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी दादरी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सरसों की फसल के संबंध में दी गई सूचना।

माननीय सदस्या भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

1. राव दान सिंह, एम.एल.ए.;
 2. श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.;
 3. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.;
 4. श्री मामन खान, एम.एल.ए.
 5. श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए. तथा
 6. श्री शीशपाल सिंह, एम.एल.ए.
- द्वारा दी गई सूचना को, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 74

जिसकी सूचना:-

- श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.;
- द्वारा दी गई सूचना को, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 75

जिसकी सूचना:-

- श्री सत्य प्रकाश, एम.एल.ए.;
- द्वारा दी गई सूचना को, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 76

जिसकी सूचना:-

- श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए.;
- द्वारा दी गई सूचना को, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 77

जिसकी सूचना:-

- राव दान सिंह, एम.एल.ए.;
- द्वारा दी गई सूचना को, स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ क्लब कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

5. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र।

(1)

- बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या 1. एक एच.ई.आर.सी/53/2021/द्वितीय संशोधन/2022, दिनांकित 26 दिसंबर, 2022 मेज पर रखेंगे।
मंत्री

(2)

2. एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी/58/2022, दिनांकित 28 दिसंबर, 2022 मेज पर रखेंगे।

(3)

3. एक बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या मंत्री एच.ई.आर.सी/56/द्वितीय संशोधन/2023, दिनांकित 4 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

(4)

4. एक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा कृषि मंत्री उद्योग निगम लिमिटेड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे मेज पर रखेंगे।

(5)

5. एक नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क (3) के अधीन की गई मंत्री अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(6)

6. एक राज्य वित्तिय अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए मंत्री हरियाणा वित्तिय निगम की 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(7)

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आई के खण्ड 4 तथा अनुच्छेद 243-वाई के खण्ड 2 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार छठे राज्य वित्त आयोग, हरियाणा द्वारा दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के अनुसार संशोधित व्याख्यात्मक ज्ञापन मेज पर रखेंगे।

वित्त
मंत्री

(8)

8. वित्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए मंत्री वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्तों लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(9)

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट-2 पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

6. नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(1)

1. अधीनस्थ विधान समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2022-2023 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 50वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

(2)

2. लोक उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2022-2023 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 69वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(3)

3. प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2022-2023 के लिए प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(4)

जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण वर्ष 2022-2023 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण
4. (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति के (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
चेयरपर्सन

(5)

5. याचिका समिति के चेयरपर्सन। वर्ष 2022-2023 के लिए याचिका समिति की 12वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

(6)

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वर्ष 2022-2023 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी
चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय
6. विषय समिति के चेयरपर्सन समिति की 8वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(7)

सरकारी आशवासनों के बारे में समिति के वर्ष 2022-2023 के लिए सरकारी आशवासनों के बारे में समिति की 52वीं रिपोर्ट
7. चेयरपर्सन प्रस्तुत करेंगे।

7. विधान कार्य

(1) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

(i)

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग
(संख्या 2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
एक
मन्त्री
हरियाणा विनियोग,
2023

(2) (ii) (विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

(i)

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर तुरन्त विचार किया
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 एक जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
मन्त्री

Chandigarh-160001,

दिनांक: २१ मार्च २०२३

राजेन्द्र कुमार नांदल,
Secretary
